E-ISSN 2582-5429
SJIF Impact - 6.86

AKSHARA
MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL

Peer-Reviewed & Refereed International Research Journal

October 2025 Special Issue 19 Volume V

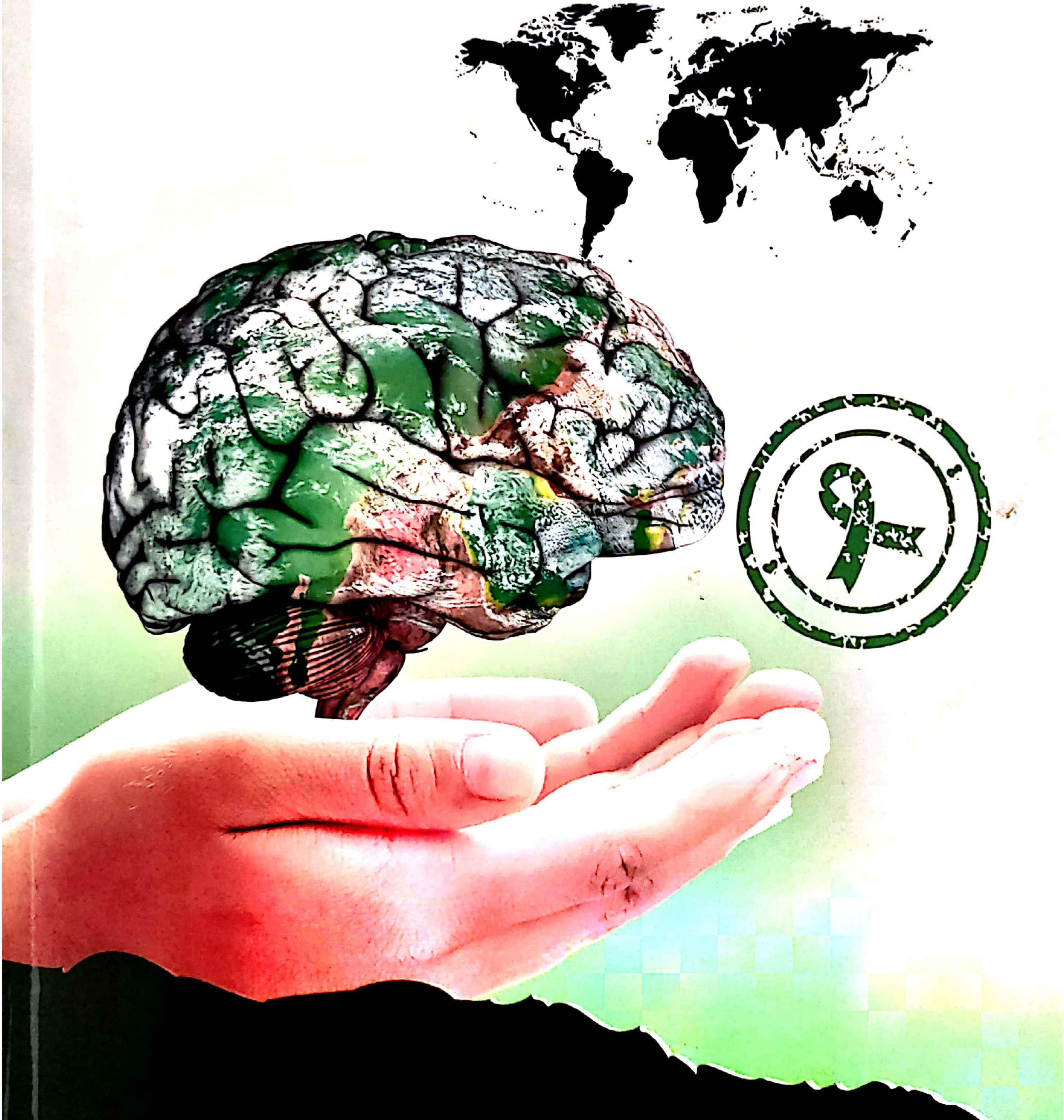

Chief Editor : Dr. Girish S. Koli

Akshara Publication

Scanned with OKEN Scanner

Akshara Multidisciplinary Research Journal

Peer-Reviewed & Refereed International Research Journal

October 2025
Special Issue 19 Volume V

Scientific Journal of Impact Factor (SJIF) Impact- 6.86

Scientific Journal Impact Factor
TOGETHER WE REACH THE GOAL

International Impact Factor Services

International Society for Research Activity (ISRA)
Journal-Impact-Factor (JIF)

Digital Online Identifier-Database System

Akshara Publication
Plot No. 42, Akshara Publication
Gokuldham, Wanjola Road Near Star Lone, Bhusawal, Dist.Jalgaon [M. S.] India 425201

Scanned with OKEN Scanner

Editorial Board

-: Chief & Executive Editor:-

Dr. Girish Shalik Koli
Dongar Kathora
Tal.Yawal, Dist. Jalgaon [M. S.] India Pin Code: 425301
Mobile No: 09421682612
Website:www.aimrj.com Email:aimrj18@gmail.com

-:Co-Editors :-

- **Dr. Sirojiddin Nurmatov,** *Associate Professor, Tashkent Institute of Oriental Studies, Tashkent City, Republic Of Uzbekistan*
- **Dr.Vivek Mani Tripathi,** Assistant Professor, *Faculty of Afro – Asian Languages and Cultures, Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou, Guangdong, China*
- **Dr.Maxim Demchenko** *Associate Professor Moscow State Linguistic University, Institute of International Relationships, Moscow,Russia*
- **Dr. Wajira Gunasena,** *Lecturer, Dept of Languages, Cultural studies & Performing Arts University of Sri Jayewardenepura, Nugegoda, Sri Lanka*
- **Shiv Kumar Singh ,** *Lecturer, Indian Faculty of Arts and Humanities, University of Lisbon Portugal.*
- **Dr. Vijay Eknath Sonje,** *Associate Professor,* (Hindi) D. N. College, Faizpur [M. S.]
- **Mr. Nilesh Samadhan Guruchal,** *Assistant Professor* (English)Smt. P. K. Kotecha Mahila Mahavidyalaya, Bhusawal, Dist. Jalgaon [M. S.] India.
- **Dr. Shaikh Aafaq Anjum,** *Assistant Professor* (Urdu) Nutan Maratha College, Jalgaon. [M. S.] India.
- **Mr. Dipak Santosh Pawar,** *Assistant Professor* (Marathi)Dr. A.G.D. Bendale Mahila Mahavidyalya, Jalgaon [M. S.] India.

PEER REVIEW POLICY

AMRJ will send a copy of research work to the editorial board. The board will verify the same according to the rules of research methodology. Then plagiarism in the work will be checked. In case if the research methodology is not followed properly by the researcher, message will be given to the researcher and he/she will be asked to revise the work in a stipulated period. After checking research methodology and plagiarism, the work will be sent to the Peer Review Committee.

SINGLE BLIND PEER REVIEW BY EXPERT PEER REVIEWERS

AMRJ adopts the Single Blind Peer Review Method. After checking research methodology and plagiarism, the work will be sent to the Peer Review Committee for review through email. AMRJ do not disclose the details of researcher to Peer Review Committee. The Peer Review Table will be displayed online according to the criteria decided by the Editorial Board. After the approval by Peer Review Committee, the research work will be published in the Issue. In case if any instructions received from Peer Review Committee, the same will be forwarded to the researcher and he/she will be asked to clear the matter. Editorial Board of AMRJ will be the final authority to decide whether a research work is to be published or not.

AMRJ Disclaimer:

For the purity and authenticity of any statement or view expressed in any article. The concerned writers (of that article) will be held responsible. At any cost member of Akshara's editorial Board will not be responsible for anyconsequences arising from the exercise of Information contained in it. AMRJ is an online research journal. It is printed only for the conavenience of reading and archiving its online content. ***(Applicable in Jalgaon jurisdiction)***

Scanned with OKEN Scanner

Sr.	Title of the Paper	Author's Name	Pg.No
29	साबरकांठा जिले के विजयनगर और खेड़ब्रह्मा तालुका की गरासिया और भील जनजातियाँ: एक तुलनात्मक अध्ययन	मोथलिया अर्चनाबहेन प्रभुदास	116
30	डोम जाति की महिलाओं की सामाजिक स्थिति: वाराणसी के घाटों पर निवासित डोम जाति की महिलाओं की स्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन	कंचन मौर्या	122
31	अस्मितामूलक विमर्श और तुलसीदास का साहित्य	लम वर्मा / डॉ. रेनू दीक्षित	126
32	जंगल जहाँ शुरू होता है' उपन्यास में स्त्री जीवन की त्रासदी	प्रा.डॉ. नवनाथ गोरक्षनाथ भोंदे	129
33	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिदृश्य में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में प्राथमिक शिक्षा में कार्यात्मक परिवर्तन पर एक चिंतन	श्रीमती प्रियंका गोस्वामी	132
34	वीरेंद्र जैन के उपन्यास 'प्रतिदान' में पारिवारिक विघटन	रवि कुमार / डॉ. सुरिन्द्रपाल कौर	136
35	अहिंदी भाषी प्रशासन क्षेत्र में हिंदी भाषा का विकासः समस्या एवं समाधान	डॉ.दीपक रामा तुपे	141
36	संत ज्ञानेश्वरांचे पसायदानातील विचार आणि आधुनिक जीवनशैलीवरील परीणाम	उदय उमाकांत राऊळ डॉ.सुनिलदत्त सोपान गवरे	149
37	भारतीय मान्सून बदल एक भौगोलिक अभ्यास	प्रा. डॉ. आजिनाथ नानाराव जिवरग	155
38	खानदेशातील अहिराणी बोलीतील विविध सण-उत्सव प्रसंगी म्हटल्या जाणाऱ्या स्त्री-गीतांचा चिकित्सक अभ्यास	डॉ. सुधाकर सीताराम चौधरी	160
39	पर्यावरण संवर्धनात नर्मदा बचाव आंदोलनाची भूमिका	श्रीमती जयश्री दिलीप पवार प्रा. डॉ. संदिप बी. नेरकर	163
40	जनजाति क्षेत्र के छात्रों की अध्ययन आदतों, शैक्षिक समायोजन एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य संबंधों का अध्ययन करना	सुवर्णा पुरोहित / डॉ. सुयश चतुर्वेदी डॉ. प्रहलाद सोनी	166
41	कबीर का जीवन-दर्शन वर्तमान में भी प्रासंगिक	डॉ.बाल किशोर राम भगत	172
42	21 वीं सदी के गीतों का स्वरूप एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य	दीपक कुमार सेन / डॉ. संजय कुमार	176
43	मराठी साहित्यातील मनोविश्लेषण व स्त्रीवादी साहित्यकार : आशा बगे	ज्योती आत्माराम बेडसे/बाविस्कर	179
44	Humanities in English Literature	Shridevi Mallikarjun Goudaganvi (Tambe)	182

Scanned with OKEN Scanner

Akshara Multidisciplinary Research Journal
Single Blind Peer Reviewed & Refereed International Research Journal
E- ISSN 2582-5429 / SJIF Impact- 6.86 / October 2025 / Special Issue 19 Volume V

35

अहिंदी भाषी प्रशासन क्षेत्र में हिंदी भाषा का विकासः समस्या एवं समाधान

डॉ. दीपक रामा तुपे
सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग,
विवेकानंद कॉलेज, (अधिकारप्रदत्त स्वायत्त) कोल्हापुर

सारांशः वस्तुतः प्रशासन एक ऐसा क्षेत्र है; जो समग्र देश को प्रभावित करता हैं। प्रशासनिक कार्य में भाषा का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। देश पर डेढ़ सौ साल तक अंग्रेजों का शासन रहा। परिणामी देश के प्रशासन क्षेत्र पर अंग्रेजी का प्रभाव रहा है। आजादी पाकर पचहत्तर साल बीत गए और अंग्रेजी का प्रभाव कम होता जा रहा है। सबसे अहम बात यह कि हिंदी भारत की राजभाषा है जबकि अंग्रेजी सहराजभाषा है। प्रशासनिक कार्यों में हिंदी भाषा के उपयोग में कई समस्याएँ आ जाती हैं, मगर उसका समाधान भी विभिन्न तरीके से किया जा रहा है।

की–वर्डः अहिंदी भाषी, प्रशासन, हिंदी भाषा, राजभाषा, समस्या, समाधान आदि।

प्रस्तावनाः

अहिंदी भाषी प्रशासन क्षेत्र के लिए 19 राज्यों से क्षेत्रीय कार्य 2024–25 के तहत कुल 700 प्रशासकों से प्रतिक्रिया प्राप्त की। इन राज्यों के प्रशासन क्षेत्र से 700 प्रशासकों की प्रतिक्रिया ली गई; जिनमें से सर्वाधिक प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य की 104 प्रतिक्रिया ली है; जो 17.67 प्रतिशत है। उसके बाद पश्चिम बंगाल राज्य की 84 प्रतिक्रिया ली है; जो 11.78 प्रतिशत है। जबकि आंध्र प्रदेश राज्य की 78 प्रतिक्रिया ली है; जो 10.99 प्रतिशत है। तामिलनाडु राज्य से 67 प्रशासकों से प्रतिक्रिया ली है; जो 9.42 प्रतिशत है। इसमें कर्नाटक राज्य की 57 और गुजरात राज्य की 56 प्रतिक्रिया ली है; जो क्रमशः 7.85 प्रतिशत है; जबकि उडीसा राज्य से 39 लोगों की प्रतिक्रिया ले ली है; जो 5.50 प्रतिशत है। तेलंगना राज्य से 33 प्रतिक्रिया ली है जो क्रमशः 4.71 प्रतिशत है। केरल राज्य से 31 प्रतिक्रिया ली है जो 4.43 प्रतिशत है जबकि आसाम राज्य की 30 प्रतिक्रिया ले ली है; जो 4.06 प्रतिशत है। पंजाब राज्य की 25 प्रतिक्रिया ली हैं जो 2.62 प्रतिशत और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिझोराम, नागालैंड, त्रिपुरा आदि राज्यों से क्रमशः 12 प्रतिक्रिया ले ली है; जो क्रमशः 1.71 प्रतिशत है।

तालिका 1 अहिंदी भाषी प्रशासन क्षेत्र से प्राप्त लोगों की प्रतिक्रियाएँ

अन. क्र.	राज्य	प्रतिक्रिया	प्रतिशत (%)
1.	आंध्र प्रदेश	78	11.14
2.	अरुणाचल प्रदेश	12	1.71
3.	असम	30	4.29
4.	गोवा	12	1.71
5.	गुजरात	56	8.00
6.	जम्मू और कश्मीर	12	1.71
7.	कर्नाटक	57	8.14
8.	केरल	31	4.43
9.	महाराष्ट्र	104	14.86
10.	मणिपुर	12	1.71
11.	मेघालय	12	1.71
12.	मिजोरम	12	1.71
13.	नगालैंड	12	1.71
14.	उड़ीसा	39	5.57
15.	पंजाब	25	3.57
16.	तमिलनाडु	67	9.57
17.	तेलंगाना	33	4.71
18.	त्रिपुरा	12	1.71
19.	पश्चिम बंगाल	84	12.00
	कुल	700	100.00

Scanned with OKEN Scanner

उक्त तालिका में 19 राज्यों का अध्ययन किया गया; जिसमें 700 प्रशासकों की प्रतिक्रिया पाई गई; जिसका ग्राफ 1 निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत है–

ग्राफ 1

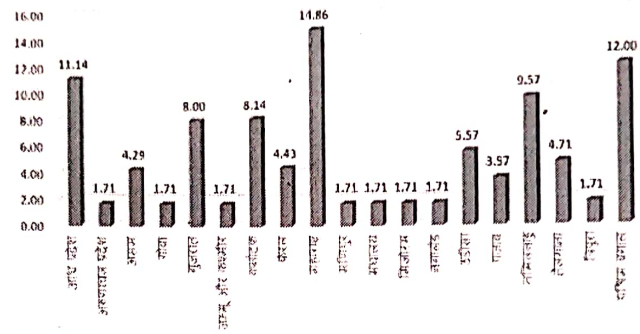

अहिंदी भाषी मीडिया क्षेत्र के लिए 19 राज्यों का चयन किया गया। इन राज्यों के प्रशासन क्षेत्र से 700 प्रशासनिक अधिकारियों की प्रतिक्रिया ली गई; जिनमें से सर्वाधिक यानी 104 प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य की है। उसके बाद पश्चिम बंगाल की 84, आंध्र प्रदेश की 78, तामिलनाडु की 67, कर्नाटक की 57, गुजरात की 56, उडीसा से 39, तेलंगना से 33, केरल से 31, आसाम की 30, पंजाब की 25 प्रतिक्रिया प्राप्त कर ली है जबकि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिझोराम, नागालैंड, त्रिपुरा आदि राज्य की क्रमशः 12 प्रतिक्रियाएँ ले ली हैं।

अहिंदी क्षेत्र में हिंदी भाषा का स्थानः

अहिंदी भाषी प्रशासन क्षेत्र के अधिकांश प्रशासक हिंदी को राजभाषा मानते हैं और अधिकांश प्रशासक राष्ट्रभाषा भी मानते हैं। कुछ प्रशासक हिंदी भाषा को राजभाषा नहीं बल्कि अन्य भाषा के रूप में जानते हैं; जिसका प्रमाण निम्नलिखित तालिका 2 और ग्राफ 2 से मिलता है–

तालिका 2

अनु. क्र.	अहिंदी क्षेत्र में हिंदी का स्थान	प्रतिक्रिया	प्रतिशत (%)
1.	राजभाषा	410	58.57
2.	राष्ट्रभाषा	284	40.57
3.	मालूम नहीं	2	0.29
4.	अन्य	4	0.57
	कुल	700	100.00

ग्राफ 2

देश में हिंदी भाषा का स्थान

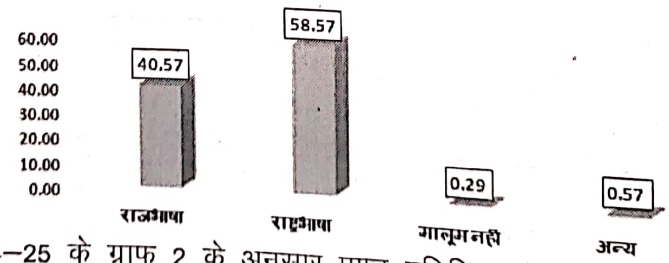

क्षेत्रीय कार्य 2024–25 के ग्राफ 2 के अनुसार प्राप्त प्रतिक्रिया में से 58.57 प्रतिशत प्रशासक देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं जबकि 40.57 प्रतिशत प्रशासक हिंदी को राजभाषा मानते हैं। 0.57 प्रतिशत प्रशासक हिंदी भाषा का स्थान 'मालूम नहीं है' का जवाब देते हैं जबकि 0.29 प्रतिशत प्रशासन अधिकारी हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं बल्कि अन्य भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। अहिंदी भाषी प्रशासक हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा है; जिसमें दो बाते महत्वपूर्ण है एक उसमें उनका अज्ञान हो सकता है और दूसरा वे राजभाषा और राष्ट्रभाषा का अंतर नहीं जानते। दरअसल हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है जबकि राजभाषा है, मगर अहिंदी भाषी प्रशासक हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं।

Scanned with OKEN Scanner

Akshara Multidisciplinary Research Journal
Single Blind Peer Reviewed & Refereed International Research Journal
E- ISSN 2582-5429 / SJIF Impact- 6.86 / October 2025 / Special Issue 19 Volume V

सरकारी कामकाज की भाषा:

सरकारी कामकाज में स्थानीय भाषा के साथ अधिकांश मात्रा में हिंदी भाषा का ही प्रयोग होता है। एक ओर सरकारी कामकाज में स्थानीय भाषा प्रयुक्त होती है तो दूसरी ओर सरकारी कामकामज में स्थानीय भाषा के साथ अंग्रेजी प्रयुक्त होती है। "यूनियन के सरकारी कामों के लिए जहाँ तक हो सके हिंदी को अंग्रेजी का स्थान देना चाहिए और कदम ऐसा उठाया जाए; जिसमें दस साल के भीतर अंग्रेजी का स्थान हिंदी ले ले।"1 कुछ लोग हिंदी जानने के बावजूद अंग्रेजी भाषा को पंकड़े हुए हैं क्योंकि उन पर अंग्रेजी भाषा हावी है। परिणामी वे प्रशासन में कार्यरत अधिकारी हिंदी भाषा को पनाह देने के बजाय अंग्रेंजी भाषा को तवज्जो दे रहे हैं। परिणामी प्रशासन में अंग्रेजी मानसिकता के प्रशासक इसी प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन अधिकांश प्रशासक वर्तमान में सरकारी कामकाज में स्थानीय भाषा के साथ हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं; जिसका प्रमाण निम्नलिखित तालिका 2 तथा ग्राफ 2 से मिलता है –

तालिका 2

अनु. क्र.	सरकारी कामकाज की भाषा	प्रतिक्रिया	प्रतिशत (%)
1.	हिंदी	635	90.71
2.	अंग्रेजी	54	7.71
3.	कोई आवश्यकता नहीं	8	1.14
4.	अन्य	3	0.43
	कुल	700	100

ग्राफ 2

सरकारी कामकाज की भाषा

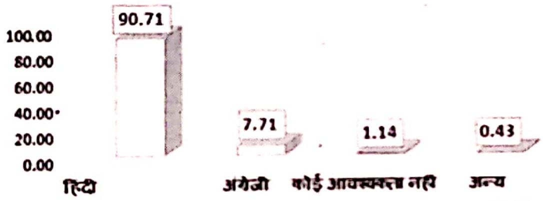

क्षेत्रीय कार्य 2024–25 के ग्राफ क्रमांक 2 के अनुसार प्राप्त प्रतिक्रिया में से 90.71 प्रतिशत प्रशासन अधिकारी सरकारी कामकाज में स्थानीय भाषा के साथ दूसरी भाषा के रूप में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं जबकि 7.71 प्रतिशत प्रशासन अधिकारी सरकारी कामकाज में स्थानीय भाषा के साथ दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। 1.14 प्रतिशत प्रशासन अधिकारी सरकारी कामकाज में स्थानीय भाषा के साथ दूसरी भाषा की आवश्यकता नहीं मानते। 0.43 प्रतिशत प्रशासन अधिकारी सरकारी कामकाज में स्थानीय भाषा के साथ अन्य भाषा का कोई विकल्प नहीं देते। अधिकांश प्रशासक सरकारी कामकाज में स्थानीय भाषा के साथ दूसरी भाषा के रूप में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। "अनेक व्यक्तियों को यह गलतफहमी है कि केंद्रीय सरकार के बहुत कम अधिकारी तथा कर्मचारी हिंदी जानते हैं। अब से कुछ वर्ष पूर्व स्थिति कुछ रही हो, वर्तमान उपलब्ध आंकडों से स्पष्ट है कि ऐसे कार्यालयों की संख्या बहुत अधिक है जिनमें 80 प्रतिशत अथवा उससे कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है।"2 कहना आवश्यक नहीं कि प्रशासन में अधिकांश अधिकारी हिंदी जानने और समझने लगे हैं और उन्हें कार्यसाधक ज्ञान भी पर्याप्त मात्रा में है।

रोजाना जीवन में हिंदी का प्रयोग:

सचमुच संविधानप्रदत्त हिंदी देश की राजभाषा है। बावजूद इसके पढ़े–लिखे लोग भी हिंदी की वर्तमान स्थिति से अवगत नहीं है। अधिकांश लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा ही मानते हैं क्योंकि समग्र देश में हिंदी सबसे ज्यादा बोली और समझी जाती है; उसका प्रभाव प्रशासन क्षेत्र में पाया जाता है। इसलिए अधिकांश प्रशासन अधिकारी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा कह रहे हैं। हिंदी भले ही संविधानप्रदत्त हमारी राजभाषा हो, लेकिन प्रशासन अधिकारी हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं; जिसका प्रमाण निम्नलिखित तालिका 3 तथा ग्राफ 3 से मिलता है–

तालिका 3

अनु. क्र.	आप रोजना जीवन में हिंदी का प्रयोग	प्रतिक्रिया	प्रतिशत (%)
1.	25 प्रतिशत से कम	68	9.71

Scanned with OKEN Scanner

AMRJ

Akshara Multidisciplinary Research Journal

Single Blind Peer Reviewed & Refereed International Research Journal

E- ISSN 2582-5429 / SJIF Impact- 6.86 / October 2025 / Special Issue 19 Volume V

2.	26 से 50 प्रतिशत तक	195	27.86
3.	51 से 75 प्रतिशत तक	153	21.86
4.	76 प्रतिशत से अधिक	284	40.57
	कुल	700	100

ग्राफ 3

रोजना जीवन में हिंदी का प्रयोग

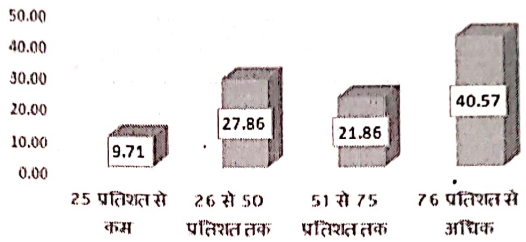

क्षेत्रीय कार्य 2024–25 के ग्राफ क्रमांक 3 के अनुसार प्राप्त प्रतिक्रिया में से 40.57 प्रतिशत प्रशासन अधिकारी 76 प्रतिशत से अधिक हिंदी भाषा का इस्तेमाल रोजाना जीवन में करते हैं जबकि 27.86 प्रतिशत प्रशासन अधिकारी 26 से 50 प्रतिशत तक हिंदी भाषा का प्रयोग रोजाना जीवन में करते हैं। साथ ही 21.86 प्रतिशत प्रशासन अधिकारी 51 से 75 तक हिंदी भाषा का प्रयोग हर दिन करते हैं जबकि 9.71 प्रतिशत प्रशासन अधिकारी 25 से प्रतिशत कम हिंदी का प्रयोग रोजाना जीवन में करते हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि रोजाना जीवन में अहिंदी भाषी प्रशासन अधिकारी अधिकांश मात्रा में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं जबकि 25 प्रतिशत से कम प्रशासक हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अहिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी भाषा का बढ़ता प्रयोग हिंदी भाषा को बढ़ावा दे रहे हैं।

कार्यालय में हिंदी की वर्तमान स्थिति:

अहिंदी भाषी प्रशासन क्षेत्र में हिंदी की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया गया, लेकिन हिंदी की स्थिति में जितना सुधार आवश्यक था; उतना नहीं हो पाया। इसमें सबसे पहले नौकरशाही मानसिकता को सुधारना होगा। उन पर अंग्रेजी मानसिकता हावी है। "अड़चन सिर्फ नौकरशाही को ही हो सकती है, लेकिन यदि उसके सुभीते को देखा जाए तो अंग्रेजी की गुलामी से पिंड कभी नहीं छूटेगा।" स्पष्ट है कि अंग्रेज तो चले गए मगर हमारी अंग्रेजीयत नहीं गई अर्थात् प्रशासन में अंग्रेजी मानसिकता ही हावी है। इसका सशक्त प्रमाण निम्नलिखित तालिका 6 तथा ग्राफ 6 से मिलता है –

तालिका 6

अनु. क्र.	कार्यालय में हिंदी की वर्तमान स्थिति	प्रतिक्रिया	प्रतिशत (%)
1.	25 प्रतिशत से कम	224	32.00
2.	26 से 50 प्रतिशत तक	165	23.57
3.	51 से 75 प्रतिशत तक	148	21.14
4.	76 प्रतिशत से अधिक	163	23.29
	कुल	700	100.00

ग्राफ 6

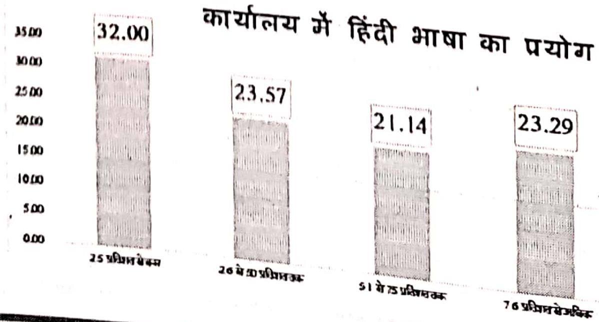

Scanned with OKEN Scanner

Akshara Multidisciplinary Research Journal
Single Blind Peer Reviewed & Refereed International Research Journal
E- ISSN 2582-5429 / SJIF Impact- 6.86 / October 2025 / Special Issue 19 Volume V

क्षेत्रीय कार्य 2024–25 के ग्राफ क्रमांक 6 के अनुसार अहिंदी भाषी प्रशासन क्षेत्र में प्राप्त प्रतिक्रिया में से 32.00 प्रतिशत प्रशासन अधिकारी 25 से भी कम मात्रा में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं जबकि 23.29 प्रतिशत प्रशासन अधिकारी 76 प्रतिशत से अधिक मात्रा में हिंदी का भाषा का प्रयोग करते हैं। 23.57 प्रतिशत प्रशासन अधिकारी 26 से 50 प्रतिशत हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं जबकि 21.14 प्रतिशत प्रशासन अधिकारी 51 से 75 प्रतिशत तक हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। सार यह कि अहिंदी भाषी प्रशासन क्षेत्र के अधिकारी अपने कार्यालय में हिंदी भाषा का शत–प्रतिशत प्रयोग नहीं करते। इतना ही नहीं; 32.00 प्रतिशत प्रशासन अधिकारी 25 से भी कम मात्रा में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इससे अहिंदी भाषी प्रशासन की हिंदी भाषा प्रयोग को लेकर उदासीनता नजर आती है।

हिंदी भाषा के विकास की समस्याएँ:

हिंदी भाषा का विकास में कई समस्याओं ने विकराल रूप धारण कर रही हैं। हिंदी भाषा का विकास कई समस्याओं के कारण धीमी गति से हो रहा है। ये समस्या दूर होगी तो हिंदी भाषा का विकास होगा। दरअसल अंग्रेजी भाषा के प्रति बढ़ता रुझान, अंग्रेजी स्कूलों के प्रति मोह, प्रशासक एवं शिक्षित वर्ग की अंग्रेजी परस्त मानसिकता हिंदी भाषा के विकास की प्रधान समस्याएँ हैं। जब तक हमारी मानसिकता का इलाज नहीं होता तब तक हिंदी भाषा के विकास की समस्या जस की तस बनी रहेगी। समय के साथ ही इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया तो हिंदी भाषा का विकास बाधित हो जाएगा। इसलिए हिंदी भाषा के विकास में समस्याओं को जानना होगा। हिंदी भाषा के विकास में आने वाली समस्याओं का प्रमाण निम्नलिखित तालिका 7 और ग्राफ 7 से मिलता है –

तालिका 7

अनु. क्र.	हिंदी भाषा के विकास की समस्याएँ	प्रतिक्रिया	प्रतिशत (%)
i)	अंग्रेजी भाषा के प्रति बढता रुझान/अंग्रेजी स्कूलों के प्रति मोह/प्रशासक एवं शिक्षित वर्ग की अंग्रेजी परस्त मानसिकता	1073	20.64
ii)	शब्दभंडार की कमी/वैज्ञानिक एवं पारिभाषिक शब्दों की समस्या	96	1.85
iii)	लिपि भिन्नता	26	0.50
iv)	हिंदी भाषा के उच्चारणसंबंधी अज्ञान	482	9.27
v)	प्रचारसेवी संस्थाओं का सीमित कार्य	423	8.14
vi)	भाषिक सम्मान का अभाव	443	8.52
vii)	राष्ट्रभाषा संबंधी जनजागृति का अभाव	487	9.37
viii)	हिंदी माध्यमों के स्कूल-कॉलेजों का अभाव	483	9.29
ix)	स्थानीय भाषा की प्रधानता	108	2.08
x)	हिंदी भाषा के प्रति अनास्था/संकीर्ण मानसिकता	72	1.38
xi)	भाषाई राजनीति/प्रांतीय भाषिक विवाद	86	1.65
xii)	व्याकरण का अधूरा ज्ञान	479	9.21
xiii)	त्रिभाषा सूत्र के क्रियान्वयन में उदासीनता	31	0.60
xiv)	सहराजभाषा अंग्रेजी बने रहना	427	8.21
xv)	सरकारी कामकाज एवं सामाजिक कार्यों में हिंदी की उपेक्षा	483	9.29
	कुल	5199	100

ग्राफ 7

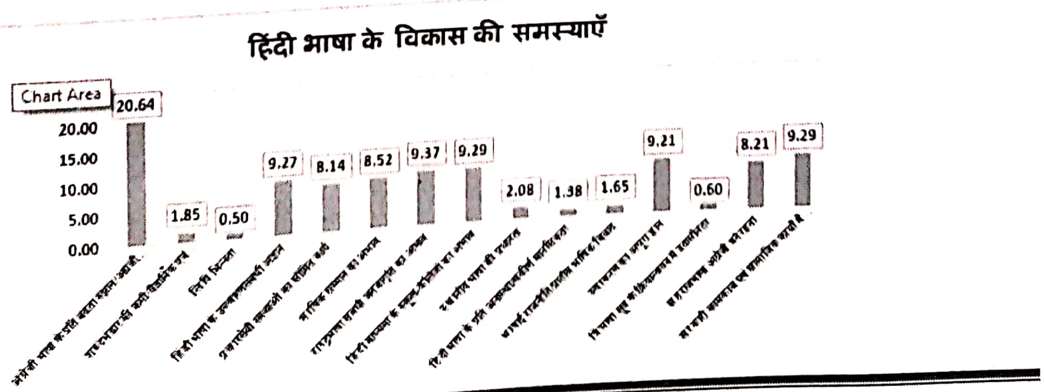

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्रीय कार्य 2024–25 के अनुसार अहिंदी भाषी मीडिया क्षेत्र में हिंदी भाषा के विकास की समस्याओं को जानने के लिए 5199 प्रशासनकर्मियों की प्रतिक्रिया पाई गई। प्राप्त प्रतिक्रिया में से 20.64 प्रतिशत प्रशासनकर्मियों का कहना है कि हिंदी भाषा के विकास में अंग्रेजी भाषा के प्रति बढ़ता रुझान, अंग्रेजी स्कूलों के प्रति मोह, प्रशासक एवं शिक्षित वर्ग की अंग्रेजी परस्त मानसिकता प्रधान समस्याएँ हैं; जबकि प्राप्त प्रतिक्रिया में से 9.37 प्रतिशत प्रशासनकर्मी राष्ट्रभाषासंबंधी जनजागृति का अभाव की समस्या स्वीकार करते हैं। प्राप्त प्रतिक्रिया में से 9.29 प्रतिशत प्रशासनकर्मी हिंदी माध्यमों के स्कूल–कॉलेजों का अभाव जैसी समस्या मानते हैं जबकि 9.29 प्रतिशत प्रशासनकर्मी सरकारी कामकाज एवं सामाजिक कार्यों में हिंदी की उपेक्षा जैसी समस्या मानते हैं। प्राप्त प्रतिक्रिया में से 9.27 प्रतिशत प्रशासनकर्मियों का कहना है कि हिंदी भाषा के उच्चारणसंबंधी अज्ञान की समस्या है जबकि 9.21 प्रतिशत प्रशासनकर्मी हिंदी भाषा के विकास में व्याकरण के अधूरे ज्ञान की समस्या है। प्राप्त प्रतिक्रिया में से 8.52 प्रतिशत प्रशासनकर्मियों का कहना है कि भाषिक सम्मान के अभाव के कारण हिंदी भाषा के विकास में समस्या आ जाती है जबकि 8.21 प्रतिशत प्रशासनकर्मियों का कहना है कि हिंदी भाषा विकास में सहराजभाषा अंग्रेजी के बने रहने की समस्या है। प्राप्त प्रतिक्रिया में से 8.14 प्रतिशत प्रशासनकर्मियों का कहना है कि प्रचारसेवी संस्थाओं के सीमित कार्य से हिंदी भाषा के विकास में समस्या आ जाती है जबकि 2.08 प्रतिशत प्रशासनकर्मियों का कहना है कि स्थानीय भाषा की प्रधानता से हिंदी भाषा के विकास में समस्या आ जाती है। प्राप्त प्रतिक्रिया में से 1.85 प्रतिशत प्रशासनकर्मियों का कहना है कि शब्दभंडार की कमी तथा वैज्ञानिक एवं पारिभाषिक शब्दों की समस्या से हिंदी भाषा के विकास में समस्या आ रही है जबकि 1.65 प्रतिशत प्रतिशत प्रशासनकर्मियों का मानना है कि भाषाई राजनीति तथा प्रांतीय भाषिक विवाद से हिंदी भाषा के विकास में समस्या आ रही है। ''हिंदी के संबंध में अकारण नए–नए विवाद उत्पन्न करके राजनैतिक स्वार्थों की सिद्धि करने का प्रयत्न होता रहा है।''4 स्पष्ट है कि हिंदी भाषा को लेकर भाषाई राजनीति अकारण की जा रही है। प्राप्त प्रतिक्रिया में से 1.38 प्रतिशत प्रशासनकर्मियों का मानना है कि हिंदी भाषा के विकास में हिंदी भाषा के प्रति अनास्था एवं संकीर्ण मानसिकता की समस्या की समस्या है। प्राप्त प्रतिक्रिया में से 0.60 प्रतिशत प्रशासनकर्मी त्रिभाषा सूत्र के क्रियान्वयन में उदासीनता की समस्या स्वीकार करते हैं जबकि 0.50 प्रतिशत प्रशासनकर्मी लिपि भिन्नता के कारण हिंदी भाषा के विकास की समस्या का स्वीकार करते हैं।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि अंग्रेजी भाषा के प्रति बढ़ता रुझान, अंग्रेजी स्कूलों के प्रति मोह, प्रशासक एवं शिक्षित वर्ग की अंग्रेजी परस्त मानसिकता, राष्ट्रभाषासंबंधी जनजागृति का अभाव, हिंदी माध्यमों के स्कूल–कॉलेजों का अभाव, सरकारी कामकाज एवं सामाजिक कार्यों में हिंदी की उपेक्षा, हिंदी भाषा के उच्चारणसंबंधी अज्ञान, व्याकरण का अधूरा ज्ञान, भाषिक सम्मान का अभाव, सहराजभाषा अंग्रेजी का बने रहना, प्रचारसेवी संस्थाओं के सीमित कार्य, स्थानीय भाषा की प्रधानता, भाषाई राजनीति आदि प्रमुख समस्याएँ हैं; जो हिंदी भाषा के विकास में बाधा बनी हुई है। यदि उक्त समस्याओं का समाधान किया जाए तो निश्चिय ही हिंदी भाषा का विकास होगा।

हिंदी भाषा के विकास में आने वाली समस्याओं का समाधानः

हिंदी भाषा के विकास में आने वाली समस्याओं का सही समाधान दिया जाए तो सही मायने में हिंदी भाषा का विकास होगा। हिंदी भाषा के विकास में देशहित में कठोर निर्णय, हिंदी भाषा को अनिवार्य करना, सरकारी कार्य में हिंदी की अनिवार्यता, हिंदी माध्यमों के स्कूल–कॉलेज को बढ़ावा, हिंदी माध्यमों की स्कूलों में शिक्षा की अनिवार्यता, हिंदी माध्यमों को प्रोत्साहन देना, बच्चों में हिंदी के प्रति रुचि पैदा करना, हिंदी भाषा के प्रति पाठकों में रुचि पैदा करना, राष्ट्रीय दृष्टिकोणों को अपनाना एवं राष्ट्रीयता को महत्व देना, सामाजिक कार्यों का आयोजन हिंदी में करना, निष्पक्षता से त्रिभाषा सूत्र से लागू करना, कार्यशाला–संगोष्ठी का आयोजन करना, उपेक्षापूर्ण व्यवहार त्यागना आदि समाधान हिंदी भाषा विकास में आने वाली बाधाओं का हो सकता है। ''वर्तमान में हमें हिंदी को रोजगार से जोड़ने, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का माध्यम बनाने, सरकारी कामकाज की भाषा बनाने, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की भाषा बनाने, जनप्रतिनिधि सभाओं में अभिव्यक्त का माध्यम बनाने, बाजार और व्यापार की भाषा बनाने, भारत के दूतावासों को अंग्रेजी के कुचक्र से छुड़ाकर उन्हें हिंदी भाषा का प्रेमी बनाने हेतु समुचित संघर्ष के लिए तत्पर रहना चाहिए।''5 हिंदी भाषा का विकास की समस्याओं का समाधान किस तरीके से होगा; जिसका प्रमाण निम्नलिखित तालिका 8 और ग्राफ 8 से देखा जा सकता है –

तालिका 8

अनु. क्र.	हिंदी भाषा के विकास में आने वाली समस्याओं का समाधान	प्रतिक्रिया	प्रतिशत (%)
i)	देशहित में कठोर निर्णय/ हिंदी को अनिवार्य करना/ सरकारी कार्य में हिंदी की अनिवार्यता	1169	31.77
ii)	राष्ट्रीय दृष्टिकोणों को अपनाना/ राष्ट्रीयता को महत्व देना	110	2.99

Scanned with OKEN Scanner

iii)	निष्पक्षता से त्रिभाषा सूत्र लागू करना	20	0.54
iv)	वैकल्पिक अंग्रेजी भाषा	17	0.46
v)	हिंदी माध्यमों के स्कूल-कॉलेज को बढावा/ हिंदी माध्यमों की स्कूलों में शिक्षा की अनिवार्यता	1078	29.30
vi)	बच्चों में हिंदी के प्रति रुचि पैदा करना/ हिंदी भाषा के प्रति पाठकों में रुचि पैदा करना	569	15.47
vii)	कार्यशाला-संगोष्ठी का आयोजन	44	1.20
viii)	सामाजिक कार्यों का आयोजन हिंदी में करना	61	1.66
ix)	उपेक्षापूर्ण व्यवहार त्यागना	28	0.76
x)	हिंदी माध्यमों को प्रोत्साहन देना	583	15.85
	कुल	3679	100

ग्राफ 8

हिंदी भाषा के विकास में आने वाली समस्याओं का समाधान

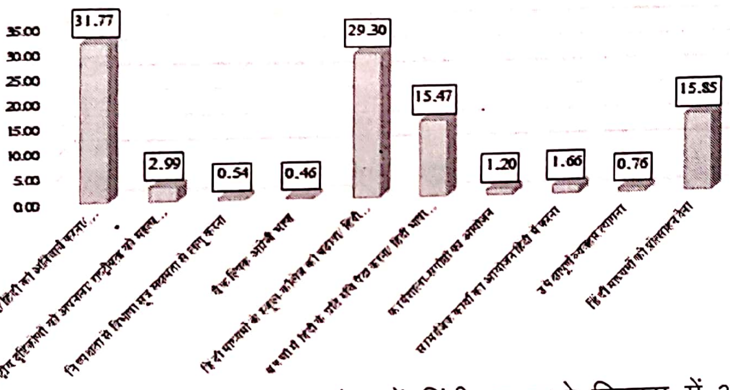

क्षेत्रीय कार्य 2024–25 के अहिंदी भाषी प्रशासन क्षेत्र में हिंदी भाषा के विकास में आने वाली समस्याओं का समाधान जानने के लिए 3679 प्रशासनकर्मियों की प्रतिक्रियाएँ पाई गई। प्राप्त प्रतिक्रिया में से 31.77 प्रतिशत प्रशासनकर्मियों का कहना है कि हिंदी भाषा के विकास में देशहित में कठोर निर्णय, हिंदी भाषा को अनिवार्य करना, सरकारी कार्य में हिंदी की अनिवार्यता से हिंदी भाषा के विकास की समस्या का समाधान हो सकता है; जबकि प्राप्त प्रतिक्रिया में से 29.30 प्रतिशत प्रशासनकर्मियों का कहना है कि हिंदी माध्यमों के स्कूल–कॉलेज को बढ़ावा और हिंदी माध्यमों की स्कूलों में शिक्षा की अनिवार्यता से हिंदी भाषा के विकास की समस्या का समाधान हो सकता है। प्राप्त प्रतिक्रिया में से 15.85 प्रतिशत प्रशासनकर्मियों का कहना है कि हिंदी माध्यमों को प्रोत्साहन देने से हिंदी भाषा के विकास की समस्या का समाधान हो सकता है जबकि 15.47 प्रतिशत प्रशासनकर्मियों का कहना है कि बच्चों में हिंदी के प्रति रुचि पैदा करने तथा हिंदी भाषा के प्रति पाठकों में रुचि पैदा करने से हिंदी भाषा के विकास की समस्या का समाधान हो सकता है। प्राप्त प्रतिक्रिया में से 2.99 प्रतिशत प्रशासनकर्मियों का मानना है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोणों को अपनाना एवं राष्ट्रीयता को महत्व देने से हिंदी भाषा के विकास की समस्या का समाधान हो सकता है जबकि 1.66 प्रतिशत प्रशासनकर्मियों का मानना है कि सामाजिक कार्यों का आयोजन हिंदी में करने से हिंदी भाषा के विकास की समस्या का समाधान हो सकता है। प्राप्त प्रतिक्रिया में से 1.20 प्रतिशत प्रशासनकर्मियों का मानना है कि कार्यशाला–संगोष्ठी का आयोजन हिंदी भाषा में करने से हिंदी भाषा का विकाससंबंधी जनजागृति होगी जबकि 0.76 प्रतिशत प्रशासनकर्मियों का कहना है कि उपेक्षापूर्ण व्यवहार त्याग देने से हिंदी भाषा का विकास हो सकता है। प्राप्त प्रतिक्रिया में से 0.54 प्रशासनकर्मियों का कहना है कि निष्पक्षता से त्रिभाषा सूत्र लागू करने से हिंदी भाषा के विकास की समस्या का समाधान हो सकता है जबकि 0.46 प्रतिशत प्रशासनकर्मी यह मानते हैं कि अंग्रेजी भाषा वैकल्पिक करने से हिंदी भाषा के विकास की समस्या का समाधान हो सकता है।

सारांश रूप में कहा जा सकता है कि अहिंदी भाषी प्रशासन क्षेत्र में हिंदी भाषा के विकास में देशहित में कठोर निर्णय लेने, हिंदी भाषा को अनिवार्य करने, सरकारी कार्य में हिंदी की अनिवार्यता करने, हिंदी माध्यमों के स्कूल–कॉलेज को बढ़ावा देने, हिंदी माध्यमों के स्कूलों में शिक्षा की अनिवार्यता करने, हिंदी माध्यमों को प्रोत्साहन देने, बच्चों में हिंदी के प्रति रुचि पैदा करने और हिंदी भाषा के प्रति पाठकों में रुचि पैदा करने से हिंदी भाषा का विकास अवश्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner

निष्कर्षः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अहिंदी भाषी अधिकांश प्रशासक मानते हैं कि हिंदी राजभाषा नहीं है बल्कि राष्ट्रभाषा है। दरअसल हिंदी राष्ट्रभाषा है, मगर अहिंदी भाषी प्रशासक हिंदी को राष्ट्रभाषा ही मानता है। इसमें उनका अज्ञान हो सकता है या तो वे राजभाषा और राष्ट्रभाषा का अंतर नहीं समझ पाते या वे हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। अहिंदी भाषी क्षेत्र के अधिकांश प्रशासक सरकारी कामकाज में स्थानीय भाषा के साथ दूसरी भाषा के रूप में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। अहिंदी भाषी प्रशासन अधिकारी अधिकांश मात्रा में रोजाना जीवन में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। अहिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी भाषा का बढ़ता प्रयोग हिंदी भाषा को बढ़ावा दे रहा है। अहिंदी भाषी प्रशासन क्षेत्र के अधिकारी अपने कार्यालय में हिंदी भाषा का शत–प्रतिशत प्रयोग नहीं करते। केवल 32 प्रतिशत प्रशासन अधिकारी 25 से भी कम मात्रा में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इससे अहिंदी भाषी प्रशासन की हिंदी भाषा प्रयोग को लेकर उदासीनता नजर आती है। अहिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी भाषा के विकास में अंग्रेजी भाषा के प्रति बढ़ता रुझान, अंग्रेजी स्कूलों के प्रति मोह, प्रशासक एवं शिक्षित वर्ग की अंग्रेजी परस्त मानसिकता, हिंदी भाषा के उच्चारणसंबंधी अज्ञान, भाषिक सम्मान का अभाव, राष्ट्रभाषासंबंधी जनजागृती का अभाव, हिंदी माध्यमों के स्कूल–कॉलेजों का अभाव जैसी समस्याएँ आ जा रही है। ये समस्याएँ दूर करने पर हिंदी भाषा का विकास होगा। देशहित में कठोर निर्णय लेना, हिंदी विषय अनिवार्य करना, सरकारी कार्यों में हिंदी की अनिवार्यता, हिंदी माध्यमों के स्कूल–कॉलेजों को बढ़ावा देना, हिंदी माध्यमों के स्कूलों में शिक्षा की अनिवार्यता से अहिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी भाषा के विकस की समस्याओं का समाधान हो सकता है।

कृतज्ञता ज्ञापनः भारतीय समाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली (आईसीएसएसआर) की ओर से 'अहिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी भाषा का विकासः समस्या एवं समाधान' लघु शोध परियोजना का प्रस्ताव स्वीकार किया गया और अनुदान प्रदान किया गया। साथ ही 'अहिंदी भाषी प्रशासन क्षेत्र में हिंदी भाषा का विकासः समस्या एवं समाधान' जैसे प्रासंगिक विषय पर शोध पत्र लिखने का अवसर प्रदान किया। इसलिए मैं आईसीएसएसआर के निदेशक और सभी सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। साथ ही महाविद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य डॉ. आर. आर. कुंभार और सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करता हूँ। उनके सहयोग एवं समर्थन के बिना यह कार्य सफल नहीं हो पाता।

संदर्भ ग्रंथ सूचीः

1. राहुल सांकृत्यायन, राष्ट्रभाषा हिंदी, राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा.लि., दिल्ली, पहला संस्करणः 2002, पृष्ठ–67
2. हरिबाबू कंसल–राजभाषा हिंदी संघर्षों के बीच, सुधांशु बंधु प्रकाशन, नई दिल्ली, पहला संस्करणः 1991, पृष्ठ–322
3. राहुल सांकृत्यायन, राष्ट्रभाषा हिंदी, राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा.लि., दिल्ली, पहला संस्करणः 2002, पृष्ठ–68
4. हरिबाबू कंसल –राजभाषा हिंदी संघर्षों के बीच, सुधांशु बंधु प्रकाशन, नई दिल्ली, पहला संस्करणः 1991, पृष्ठ–321
5. डॉ. गार्गीशरण मिश्र 'मराल', सर्वधर्म समभाव से सर्वधर्म समन्वय तक, विकास प्रकाशन, 311 सी, विश्व बैंक बर्रा, कानपुर 208027, संस्करणः प्रथम 2010, पृष्ठ–56

Scanned with OKEN Scanner